वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर

प्रो0 पीयूष रंजन अग्रवाल, कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर की अध्यक्षता में दिनांक–14.02.2017 को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

'वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही–

1.	प्रो0 पीयूष रंजन अग्रवाल कुलपति		अध्यक्ष
2.	डा0 के0के0 तिवारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी।	(प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा) उ0प्र0शासन,लखनऊ	सदस्य
3..	श्री ए0 के0 सिंह अपर निदेशक,पेंशन एवं कोषागार वाराणसी परिक्षेत्र,वाराणसी।	(प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव,वित्त) उ0प्र0शासन,लखनऊ	सदस्य
4.	श्री एस0पी0 श्रीवास्तव वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग, लखनऊ।		सदस्य
5.	डा0देवराज कुलसचिव		सदस्य
6..	एम0के0सिंह वित्त अधिकारी		सचिव

निर्धारित कार्य सूची के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गयाः–

प्रस्ताव सं0–01

दिनांक–17.11.2017 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं0–2

कार्य परिषद की बैठक दिनांक–30.1.2017 के कार्य सूची–10 में वेतन आयोग की संस्तुतियों यथा शासनादेश संख्या–67/2016/वे0आ0–2–1447/दस–04 (एम)/2016 द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण पर विचार।

निर्णय–समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्य परिषद के निर्णय के क्रम में एवं उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं0–3

कार्य परिषद की बैठक दिनांक–7.12.2016 के प्रस्ताव सं0–3 में वित्त समिति की बैठक दिनांक–17.11.2016 के कार्य सूची संख्या–(ग) में विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्य परिषद के निर्णय के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2017–18 से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से रू0 500/–प्रतिमाह विलम्ब शुल्क लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं0–4

माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–4034/2017, दिनांक–30.1.2017 के अनुपालन में पारित आदेश के क्रम में सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों का महाविद्यालयों से संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र प्राप्त कर शुल्क जमा किये जाने की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।(संलग्नक–1)

प्रस्ताव सं0–5

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में केन्द्रीय पर्यवेक्षक दल, निगरानी समिति,डाटा प्रोसेसिंग एवं परीक्षा कार्यो के निमित्त अन्य समितियों में कार्य करने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–समिति द्वारा सर्व सम्मति से परीक्षा की शुचिता,समयबद्ध व त्वरित परीक्षा परिणाम दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न समितियों के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। भविष्य में इन समितियों के पदाधिकारियों का पदनाम व पारिश्रमिक पूर्व निर्धारित व्यवस्थानुसार रखे जाने की भी संस्तुति की गयी।

अध्यक्ष महोदय की अन्य बिन्दुओं पर विचार

प्रस्ताव सं0–1

बार काउंसिल आफ इण्डिया,नई दिल्ली के पत्रों के अनुसार बार काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा प्रेषित अंक पत्रों का निःशुल्क सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से दिनांक–30.1.2017 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कीं गयी।

प्रस्ताव सं0–2

विश्वविद्यालय में स्थापना अवधि से लेकर आज दिनांक तक नियम,परिनियम,अध्यादेश आदि में परिवर्तन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय में उक्त का रख–रखाव एवं पुनरीक्षित आदि हेतु किसी भिज्ञ सेवा निवृत्त अधिकारी से सहयोग लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय– समिति सर्व सम्मति से दिनांक–30.1.2017 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय से सहमत हुई तथा यह संस्तुति की गयी कि उपयुक्त अधिकारी का चयन सर्च कमेटी के माध्यम से किया जाय जिसका पारिश्रमिक स्नातकोत्तर संविदा शिक्षकों के समान होगा जो कि समय–समय पर कार्य की समीक्षा के अधीन अधिकतम एक वर्ष का होगा। सर्च कमेटी का गठन कुलपति द्वारा किया जाएगा। अधिकतम मानदेय रू0 25,000.00 प्रतिमाह होगा। प्रथम छः माह के कार्यावलोकन उपरान्त अग्रिम छः माह तक की कार्य अवधि विस्तारित की जाएगी। कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाने का यात्रा व्यय अनुमन्य होगा।

प्रस्ताव सं0–3

CAS के अन्तर्गत प्राध्यापकों के प्रोन्नति प्रकरण के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपर्युक्त प्रकरण में शासनादेशों के क्रम में पुर्न परीक्षण किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–4

विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्व सम्मति से स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित बैठक दिनांक–10.2.2017 की संस्तुतियों पर सहमती प्रदान की गयीं।(संलग्नक–2)

प्रस्ताव सं0–5

विश्व बैंक सहायतित टेकिप (Technicl Educatuion Quality Improvement Programme) का फेज–III के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– समिति के समक्ष उपर्युक्त विषय शासन का पत्र सं0–38/सत्तर–1–2017, दिनांक–16.01.2017 का पत्र पढ़कर सुनाया गया तथा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को निर्गत पत्र सं0–पूविवि/कु0स0/2017/2147, दिनांक–16.01.2017 से समिति को अवगत कराया गयां। समिति द्वारा शासन के पत्र एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी। इस सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक–30.1.2017 की कार्य सूची–11(vi) में लिये गये निर्णय से समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

(एम0के0सिंह)
वित्त अधिकारी/सचिव

(प्रो0पीयूष रंजन अग्रवाल)
कुलपति/अध्यक्ष